बालोतरा में ड्रग्स फैक्टरी पकड़ी, पिता-पुत्र गिरफ्तार

भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, रसायन और उपकरण बरामद किए

बालोतरा, (निसं)। बालोतरा जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन विषभंजन के तहत बालोतरा पुलिस ने भारतमाला एक्सप्रेस-वे के किनारे अवैध रूप से संचालित एक ड्रग्स फैक्टरी का पर्दाफाश करते हुए भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, रसायन और उपकरण बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने ड्रग माफिया पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक रमेश ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु मुख्यालय के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरफूलसिंह और वृत्ताधिकारी विकास कुमार के सुपरविजन में थानाधिकारी पचपदरा शिशपालसिंह और नरपतदान निपु के नेतृत्व में दो अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सरहद कुड़ी में आरोपी ओमप्रकाश और सुभाष के घर पर अवैध गतिविधियां चल रही है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दबिश दी, जहां से चार किलो अवैध डोडा-पोस्त बरामद किया गया। आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने घर के पास बने बाड़े में अवैध एमडीएमए बनाने की फैक्टरी का खुलासा किया। ड्रग्स फैक्टरी से पुलिस ने भारी मात्रा में रसायन, ड्रम्स, जरिकेन, टब, जग, ट्रे, छलनी, प्लास्टिक के पाउच और गैस सिलेंडर सहित अन्य उपकरण बरामद किए हैं, जिनका उपयोग नशीले पदार्थ बनाने में किया जा रहा था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सुरेश कुमार विश्नोई निवासी कुड़ी के लिए अवैध एमडीएमए तैयार करते थे। सुरेश कुमार उन्हें रसायन और सामग्री उपलब्ध कराता था और इसके बदले उन्हें मोटी रकम दी जाती थी। इसके अलावा, आरोपी भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर ट्रक चालकों को भी डोडा पोस्त की सप्लाई करते थे। पुलिस ने ओमप्रकाश (41) पुत्र बलवन्ताराम विश्नोई, सुभाष (23) पुत्र ओमप्रकाश विश्नोई, निवासी कुड़ी को गिरफ्तार किया है।

गर्म पानी की रॉड से करंट लगा, मां-बेटी की मौत

■ **खेलते-खेलते बच्ची ने बाल्टी में हाथ डाला, बचाने की कोशिश में मां की मौत हो गई**

श्रीगंगानगर, (निसं)। जिले के अनूपगढ़ में गर्म पानी करने की रॉड से करंट लगने के कारण मां-बेटी की मौत हो गई। मां ने बाल्टी में पानी गर्म करने के लिए रॉड लगा रखी थी। तीन साल की बेटी खेलते-खेलते बाल्टी के पास पहुंची और अंदर हाथ डाल दिया। बेटी को करंट लगता देख मां चिल्लाई और उसे पकड़कर बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गई। चीख सुनकर पड़ोसी उनके घर पहुंचे तो मां-बेटी बेहोश पड़ी थी। पड़ोसियों ने दोनों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया।

एसएचओ ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि वार्ड 34 में गीता चौक निवासी सरोज (34) और उसकी बेटी दिव्यांशी (3) की करंट लगने के कारण मौत हो गई। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। दोनों शव सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। महिला के पति विजय कुमार ने रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया कि मैं सुबह अपने काम के लिए घर से निकल गया था। सुबह करीब 11.30 बजे मेरी पत्नी सरोज ने पानी गर्म करने के लिए बाल्टी में रॉड लगाई थी। बेटी दिव्यांशी (3) पास में ही खेल रही थी। खेलते-खेलते दिव्यांशी ने बाल्टी में हाथ डाल दिया और उसे करंट लग गया। बेटी को करंट लगता देख सरोज चिल्लाई और दौड़कर उसे पकड़ा, जिससे वह भी करंट की चपेट में आ गई। सरोज की चीख सुनकर पड़ोसी हमारे घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि दिव्यांशी और सरोज फर्श पर बेहोश पड़े थे। पड़ोसियों ने दोनों को अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। विजय कुमार ने बताया कि हमारे 4 बेटियां हैं। 6 साल और 5 साल की बड़ी बेटियां दादी के पास करणपुर गई हुई है। हादसे के समय पत्नी सरोज, बेटी दिव्यांशी और 8 महीने की बेटी घर पर थी। पड़ोसियों ने फोन पर हादसे की सूचना दी।

ट्रोले की टक्कर से बस सवार 11 यात्री गंभीर घायल

■ **घायलों में बस ड्राइवर की स्थिति गंभीर, जयपुर रेफर किया**

बीकानेर, (निसं)। पलाना-उदयरामसर मार्ग पर ट्रोले ने बस को टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। घायल 25 लोगों को पीबीएम हॉस्पिटल के ट्रोमा सेंटर में ले जाया गया। 11 यात्रियों को गंभीर चोटें आई है। घायलों में बस ड्राइवर भगवानाराम की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। अन्य घायलों का इलाज पीबीएम अस्पताल में जारी है, जबकि कुछ यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी।

जानकारी के अनुसार हादसे के समय बस जोधपुर से संगरिया की ओर जा रही थी और शाम को जोधपुर से रवाना हुई थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार यात्रियों को चोटें आईं और कई लोग दहशत में आ गए। हादसे में बीकानेर की सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर मोनिका राजपुरोहित और उनकी बहन भी घायल हुई हैं। हालांकि, दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार खड़गावत और उनकी असहाय सेवा संस्थान की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने राहत कार्य करते हुए घायलों को तुरंत पीबीएम हॉस्पिटल भिजवाने में मदद की।

कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़ (चूरू) राजस्थान

E-mail id:- nps222419@gmail.com Phone no. 01568-222419

क्रमांक :-न.प.सु/स्थापना शाखा/2026/32 दिनांक :- 01.04.2026

-: ई-निविदा सूचना-2026-27 :-

नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये उपयुक्त सक्षम श्रेणी के राज्य सरकार के विभागों में प्रजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से निविदा दिनांक 16.04.2026 तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट **https://eproc.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड कि जा सकता है एवं निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट **www.sppp.raj.gov.in** पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा का बीड कमांक **DLB2627SLOB00045** है। कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद सुजानगढ के कार्यालय में एवं सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है।

राज.संवाद/सी/26/349 आयुक्त, नगर परिषद, सुजानगढ

नगर निगम जोधपुर

क्रमांकः- 14 दिनांकः- 01.04.2026

:: ई-निविदा सूचना ::

(UB NO. DLB2627WSOB00026)

नगर निगम जोधपुर की ओर से विभिन्न सिविल कार्यो हेतु ऑनलाईन ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा से संबंधित कार्यो की विस्तृत जानकारी, निविदा की शर्ते आदि **http://eproc.rajasthan.gov.in**, **www.sppp.rajasthan.gov.in** एवं **https://lsg.Rajasthan.gov.in/mcjs** पर देखी जा सकती है।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर

राज.संवाद/सी/26/371

कार्यालय नगरपालिका कामां(डीग)राज0

क्रमांक/न0पा0कामां/निर्माण शाखा/26/41 दिनांक 02.04.2026

ई-निविदा सूचना-01(2026-27)

नगरपालिका कामां द्वारा निम्न निर्माण कार्य कराये जाने हेतु राज्य सरकार के विभागो में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्रों में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रकिया के अन्तर्गत ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा डाउनलोड एवं अपलोड करने की तिथी 03.04.2026 समय प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ की जाकर निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथी 10.04.2026 समय सायं 06:00 बजे तक एवं दिनांक 13.04.2026 को दोपहर 02:00 बजे तक कार्यालय में निविदा से संबंधित समस्त दस्तावेज जमा किये जावेगे एवं निविदा दिनांक 15.04.2026 को सायं 03:00 बजे से खोली जावेगी। निविदा फार्म ऑनलाईन वेबसाईट **https://eproc.rajasthan.gov.in** पर डाउनलोड एवं अपलोड की जावेगें तथा **https://sppp.rajasthan.gov.in** पर भी देखी जा सकती है। जिनके UBN/Tender Id निम्नानुसार हैः-

S.No.	Tender Id	U.B.N. No	Estimated Cost`
1.	2026_DLB_549602_1	DLB2526WSOB00115	6.32 Lac
2.	2026_DLB_549602_2	DLB2526WSOB00116	7.64 Lac
3.	2026_DLB_549602_3	DLB2526WSOB00117	10.17 Lac
4.	2026_DLB_549602_4	DLB2526WSOB00118	18.83 Lac
5.	2026_DLB_549602_5	DLB2526WSOB00119	21.22 Lac

राज.संवाद/सी/26/405 अधिशाषी अधिकारी

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
CIN No: U40109RJ2000SGC016486

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
CIN No: U40109RJ2000SGC016482

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
CIN No: U40109RJ2000SGC016483

वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दुः-

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए अपने आदेश दिनांक 30.03.2026 के द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ आदेश जारी कर दिया है। नया आदेश, दिनांक 01.04.2026 से प्रभावी होगा। विस्तृत वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ आदेश निगमों की वेबसाईट https://energy.rajasthan.gov.in/jvvnl, https://energy.rajasthan.gov.in/avvnl, https://energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl एवं माननीय आरईआरसी की वेबसाईट https://rerc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैः-

- **विद्युत टैरिफ में कोई संशोधन नहीं:** माननीय आयोग (RERC) ने कुछ लक्षित टैरिफ युक्तिकरण उपायों को छोड़कर किसी भी उपभोक्ता श्रेणी के लिए विद्युत टैरिफ में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं किया है।
- **मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए राहत:** मध्यम औद्योगिक सेवा (HT-3/MIP) उपभोक्ताओं हेतु न्यूनतम प्रभावी ऊर्जा शुल्क (रिबेट के बाद) 6.30 रु. प्रति यूनिट से घटाकर 6.00 रु. प्रति यूनिट कर दिया गया है, जबकि आधार ऊर्जा शुल्क 6.50 रु. प्रति यूनिट पर यथावत रखा गया है।
- **सार्वजनिक पथ प्रकाश के लिए सरलीकरण:** सार्वजनिक पथ प्रकाश (PSL) श्रेणी के लिए टाइम ऑफ डे (ToD) टैरिफ को वापस ले लिया गया है।
- **ईवी चार्जिंग अवसरंचना को बढ़ावा:** सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए एकल-भाग टैरिफ (Single Part Tariff) लागू किया गया है। एलटी 8 (LT 8) और एचटी 6 (HT 6) दोनों श्रेणियों के लिए स्थाई शुल्क (Fixed Charges) हटा दिए गए है, जबकि ऊर्जा शुल्क 6.00 रु. प्रति यूनिट पर यथावत रखा गया है।
- **एलटी से एचटी परिवर्तन मानकों में स्पष्टता:** आयोग ने टैरिफ परिभाषा में संशोधन को अनुमोदित किया है, जिसके अनुसार यदि किसी वित्तीय वर्ष में अधिकतम मांग 50 केवीए (kVA) से तीन बार अधिक होती है, तो एलटी से एचटी में परिवर्तन अनिवार्य होगा। यह संशोधन टैरिफ प्रावधानों को टीसीओएस (TCOS) के अनुरूप बनाता है तथा किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को समाप्त करता है।
- **गैर-घरेलू स्लैबों का युक्तिकरण:** 5 किलोवाट तक के स्वीकृत सम्बद्ध भार वाले गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पूर्ववर्ती टैरिफ स्लैब-टाइप 1 (प्रति माह 100 यूनिट तक खपत) तथा टाइप 2 (प्रति माह 200 यूनिट तक खपत)- को मिलाकर एकल टाइप 1 स्लैब (प्रति माह 200 यूनिट तक खपत) बनाया गया है। इससे बिलिंग प्रक्रिया सरल होगी, जबकि वर्तमान ऊर्जा शुल्क एवं स्थाई शुल्क दरों को यथावत रखा गया है।
- **सार्वजनिक पथ प्रकाश (Public Street Lighting) कनेक्शनों के लिए स्थाई शुल्क की सीमा निर्धारण:** सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग के लिए स्थाई शुल्क को प्रति सेवा कनेक्शन जनसंख्या के आधार पर सीमित किया गया है- 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए 3,000 रु प्रति सेवा कनेक्शन प्रति माह तथा 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों के लिए 8,000 रु. प्रति सेवा कनेक्शन प्रति माह। वहीं, प्रति लैम्प शुल्क दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- **द्वि-स्रोत विद्युत आपूर्ति (Dual source supply) हेतु टैरिफ की स्वीकृति:** सभी एचटी (HT) एवं ईएचटी (EHT) उपभोक्ता, जो द्वि-स्त्रोत विद्युत आपूर्ति का लाभ एक साथ (simultaneous) अथवा स्टैंडबाय के रूप में ले रहे हैं, उनसे संबंधित टैरिफ श्रेणी हेतु निर्धारित स्थाई प्रभार का दोगुना प्रभार लिया जाएगा।
- ग्रीन पावर टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
- इस टैरिफ आदेश में अतिरिक्त अधिभार (Additional Surcharge) तथा क्रॉस-सब्सिडी शुल्क (Cross-subsidy Charges) में कमी की गई है।

वर्ष 2026-27 के लिये अनुमोदित टैरिफ

घरेलू श्रेणी (एल.टी-1 एवं एच.टी-1)

घरेलू श्रेणी			घरेलू श्रेणी		
मौजूदा टैरिफ			अनुमोदित टैरिफ		
विशिष्टियां	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	विशिष्टियां	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
बीपीएल, आस्था कार्ड धारक और लघु घरेलू*			बीपीएल, आस्था कार्ड धारक और लघु घरेलू*		
प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	150 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	150 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह

* नोट : बीपीएल और आस्था कार्ड धारक की घरेलू टैरिफ एकल उपभोक्ता पर ही लागू होगी और यह किसी संस्था पर लागू नहीं होगी। यदि बीपीएल, आस्था कार्ड धारक और लघु घरेलू उपभोक्ता किसी बिलिंग चक्र में 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर उपभोग करते है तो उपभोक्ता पर घरेलू श्रेणी एलटी-1 के अन्तर्गत अतिरिक्त यूनिटों के उपभोग पर सम्बन्धित स्लेब लागू होगी

सामान्य घरेलू-1

घरेलू श्रेणी			घरेलू श्रेणी		
विशिष्टियां	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियां	अनुमोदित टैरिफ	
सामान्य घरेलू-1 (150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग)			सामान्य घरेलू-1 (150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग)		
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	150 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	150 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
(ii) 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.00 रू प्रति यूनिट		(ii) 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.00 रू प्रति यूनिट	

सामान्य घरेलू-2

घरेलू श्रेणी			घरेलू श्रेणी		
विशिष्टियां	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियां	अनुमोदित टैरिफ	
सामान्य घरेलू-2 (300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग)			सामान्य घरेलू-2 (300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग)		
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	300 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	300 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
(ii) 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.00 रू प्रति यूनिट		(ii) 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.00 रू प्रति यूनिट	
(iii) 150 यूनिट से ऊपर 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट		(iii) 150 यूनिट से ऊपर 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट	

सामान्य घरेलू-3

घरेलू श्रेणी			घरेलू श्रेणी		
विशिष्टियां	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियां	अनुमोदित टैरिफ	
सामान्य घरेलू-3 (500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग)			सामान्य घरेलू-3 (500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग)		
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	500 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	500 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
(ii) 50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.00 रू प्रति यूनिट		(ii) 50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.00 रू प्रति यूनिट	
(iii) 150 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट		(iii) 150 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट	

सामान्य घरेलू-4

घरेलू श्रेणी			घरेलू श्रेणी		
विशिष्टियां	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियां	अनुमोदित टैरिफ	
सामान्य घरेलू-4 (500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग)			सामान्य घरेलू-4 (500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग)		
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	800 रू प्रति कनेक्शन प्रति माह	(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रू प्रति यूनिट	800 रू प्रति कनेक्शन प्रति माह
(ii) 50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.00 रू प्रति यूनिट		(ii) 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.00 रू प्रति यूनिट	
(iii) 150 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट		(iii) 150 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट	
(v) 500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	7.50 रू प्रति यूनिट		(v) 500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	7.50 रू प्रति यूनिट	

घरेलू श्रेणी (एच.टी-1)

घरेलू श्रेणी			घरेलू श्रेणी		
विशिष्टियां	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियां	अनुमोदित टैरिफ	
एच.टी घरेलू (एच.टी-1)			एच.टी घरेलू (एच.टी-1)		
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
50 के.वी.ए. से ऊपर की संविदा स्वीकृत मांग	6.50 प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड प्रतिमाह का 300 रू प्रति के.वी.ए.	50 के.वी.ए. से ऊपर की संविदा स्वीकृत मांग	6.50 प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड प्रतिमाह का 300 रू प्रति के.वी.ए.

अघरेलू श्रेणी (एल.टी-2 एवं एच.टी.-2)
अघरेलू 5 किलोवाट तक स्वीकृत संबद्ध भार

अघरेलू श्रेणी			अघरेलू श्रेणी		
विशिष्टियां	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियां	अनुमोदित टैरिफ	
एल.टी . अघरेलू (एल.टी-2)			एल.टी . अघरेलू (एल.टी-2)		
100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप-1)			200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप-1)		
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट	350 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट	350 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
100 यूनिट से ऊपर 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप-2)			100 यूनिट से ऊपर और 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट	350 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट	350 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह			
100 यूनिट से ऊपर और 200 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट				

अघरेलू श्रेणी			अघरेलू श्रेणी		
विशिष्टियां	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियां	अनुमोदित टैरिफ	
एल.टी . अघरेलू (एल.टी-2)			एल.टी . अघरेलू (एल.टी-2)		
500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप-3)			500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग (टाईप-2)		
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट	450 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट	450 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
100 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट		100 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट	

अघरेलू श्रेणी			अघरेलू श्रेणी		
विशिष्टियां	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियां	अनुमोदित टैरिफ	
एल.टी . अघरेलू (एल.टी-2)			एल.टी . अघरेलू (एल.टी-2)		
500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग (टाईप-4)			500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग (टाईप-3)		
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट	700 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट	700 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
100 यूनिट से ऊपर का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट		100 यूनिट से ऊपर का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट	

अघरेलू . 5 किलोवाट से ऊपर स्वीकृत संबद्ध भार,

अघरेलू श्रेणी			अघरेलू श्रेणी		
विशिष्टियां	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियां	अनुमोदित टैरिफ	
अघरेलू 5 किलोवाट से ऊपर स्वीकृत संबद्ध भार(एल.टी-2)			अघरेलू 5 किलोवाट से ऊपर स्वीकृत संबद्ध भार(एल.टी-2)		
	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार		ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत संबद्ध भार का 160 रू प्रति किलोवाट प्रतिमाह	100 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत संबद्ध भार का 160 रू प्रति किलोवाट प्रतिमाह
100 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट		100 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	8.50 रू प्रति यूनिट	
500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	8.50 रू प्रतियूनिट	स्वीकृत संबद्ध भार का 200 रू प्रति किलोवाट प्रतिमाह या बिलिंग डिमाण्ड प्रतिमाह का 320 रू प्रति के.वी.ए. (यदि स्वीकृत संबद्ध भार 18.65 किलोवाट से अधिक है तो)	500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	8.50 रू प्रतियूनिट	स्वीकृत संबद्ध भार का 200 रू प्रति किलोवाट प्रतिमाह या बिलिंग डिमाण्ड प्रतिमाह का 320 रू प्रति के.वी.ए. (यदि स्वीकृत संबद्ध भार 18.65 किलोवाट से अधिक है तो)

अघरेलू 50 के.वी.ए. से ऊपर संविदा मांग

एच.टी . अघरेलू (एच.टी .2)	मौजूदा टैरिफ		एच.टी . अघरेलू (एच.टी .2)	अनुमोदित टैरिफ	
50 के.वी.ए. से ऊपर संविदा मांग	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	50 के.वी.ए. से ऊपर संविदा मांग	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
सम्पूर्ण यूनिट	8.50 प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 320 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह	सम्पूर्ण यूनिट	8.50 प्रति यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का 320 रू प्रति के.वी.ए. प्रतिमाह

सार्वजनिक पथ प्रकाश (पी.एस.एल) श्रेणी (एल टी-3)

विशिष्टियां	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियां	अनुमोदित टैरिफ	
पी.एस.एल	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	पी.एस.एल	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
1 लाख से कम जनसंख्या	7.00 रू प्रति यूनिट	150 रू प्रति लैम्प पाईन्ट प्रतिमाह	1 लाख से कम जनसंख्या	7.00 रू प्रति यूनिट	150 रू प्रति लैम्प पाईन्ट प्रतिमाह (अधिकतम 3000 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह)
1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या	7.50 रू प्रति यूनिट	200 रू प्रति लैम्प पाईन्ट प्रतिमाह	1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या	7.50 रू प्रति यूनिट	200 रू प्रति लैम्प पाईन्ट प्रतिमाह (अधिकतम 8000 रू प्रति कनेक्शन प्रतिमाह)

कृषि श्रेणी (मीटर्ड और फ्लेट रेट) (एल टी-4)

विशिष्टियां	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियां	अनुमोदित टैरिफ	
मीटर्ड (एजी/एमएस(एल टी-4)			मीटर्ड (एजी/एमएस(एल टी-4)		
कृषि सप्लाई	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	कृषि सप्लाई	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
(i) सामान्य श्रेणी (जिन उपभोक्ताओ को ब्लॉक में बिजली मिल रही है)	5.25 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत संबद्ध भार का 30 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	(i) सामान्य श्रेणी (जिन उपभोक्ताओ को ब्लॉक में बिजली मिल रही है)	5.25 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत संबद्ध भार का 30 रू प्रति एच. पी. प्रतिमाह
(ii) वे सभी उपभोक्ता जो कि उपरोक्त (i) में नहीं आते है और जिनको ब्लॉक घण्टो से ज्यादा बिजली मिल रही है।	7.00 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत संबद्ध भार का 60 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	(ii) वे सभी उपभोक्ता जो कि उपरोक्त (i) में नहीं आते है और जिनको ब्लॉक घण्टो से ज्यादा बिजली मिल रही है।	7.00 रू प्रति यूनिट	स्वीकृत संबद्ध भार का 60 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह
फ्लेट / अमीटर्ड (एजी/ एफआर(एल टी-4)			फ्लेट / अमीटर्ड (एजी/ एफआर(एल टी-4)		
(i) सामान्य श्रेणी (जिन उपभोक्ताओ को ब्लॉक में बिजली मिल रही है)	745 रू प्रति एच.पी. प्रति माह	स्वीकृत सम्बंद्ध भार का 30 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	(i) सामान्य श्रेणी (जिन उपभोक्ताओ को ब्लॉक में बिजली मिल रही है)	745 रू प्रति एच. पी. प्रति माह	स्वीकृत संबद्ध भार का 30 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह
(ii) वे सभी उपभोक्ता जो कि उपरोक्त (i) में नहीं आते है और जिनको ब्लॉक घण्टो से ज्यादा बिजली मिल रही है।	895 रू प्रति एच.पी. प्रति माह	स्वीकृत सम्बंद्ध भार का 60 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह	(ii) वे सभी उपभोक्ता जो कि उपरोक्त (i) में नहीं आते है और जिनको ब्लॉक घण्टो से ज्यादा बिजली मिल रही है।	895 रू प्रति एच. पी. प्रति माह	स्वीकृत संबद्ध भार का 60 रू प्रति एच.पी. प्रतिमाह

लघु औद्योगिक श्रेणी (एल टी-5)

विशिष्टियां	मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियां	अनुमोदित टैरिफ	
लघु औद्योगिक सेवा (एल.टी.-5) (18.65 किलोवाट (25 एच.पी) से अधिक भार नहीं,)	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार	लघु औद